International Journal of
Arts & Education Research

ISSN
2278-9677

Email:-info@ijaer.org Oct 2019 www.ijaer.org

हिन्दी की महिला कहानीकारों में मानवधिकार

Dr. Navneeta Bhatia
Independent Research Scholar
Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha (CHENNAI)

सार–

पुरूष और स्त्री की सृष्टि मानव–जीवन की संपूर्णतया के लिए हुई है। एक के बिना दूसरा अधूरा या अधूरी है। अधूरेपन में समाज का विकास नहीं हो सकेगा। लेकिन समाज रूपी साम्राज्य में हरदम पुरूष ही सत्ताधारी है। स्त्री, मॉ, बहन, पत्नी, नानी और दादी आदि तो है, लेकिन उसकी भूमिका पुरूष के इशारे पर चलने वाली गुलाम के रूप में है। स्त्री अबला है, सर्वमसहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अधिकार जानते हुए भी उससे वंचित जीवन जीने के लिए मजबूर है। स्त्री समाज में बिक्री की वस्तु बन गई है। विज्ञापन में देखिए पुरूष पूरा वस्त्र पहनकर अभिनय करता है, तो स्त्री–देह में नाममात्र कपड़ा है। फिल्म में भी स्थिति ऐसी ही है। स्त्री पैसे के लिए अपनी इज्जत बेचती है। ऐसी स्त्रियां अपने अधिकार के बारे में अच्छी तरह जानती हैं, पर **''यशसो धर्मो अर्थ कृते'** के कारण मानवाधिकार के हनन को जानते हुए अनजान बन कर बैठती है। 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के लिए समानता का अधिकार दिया था। लड़की हो या लड़का, दोनों को समान रूप से पालना है।

प्रस्तावना–

डॉ. हरिशचन्द्र व्यास के अनुसार, 'वस्तुतः नारी और पुरूष की पूर्णता का प्रतीक समाज का विकास है, जिसमें पुरूष से अधिक 'नारी का हिस्सा होता है। वह केवल पुरूष की जननी ही नही, उसकी पालक भी है।''[1] आज भारत सरकार भी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' जैसे नारों से जनता को जागृत कर रही है। आजकल कोख में ही शिशु के लिंग जानने की सुविधा है। लिंग जानने से लड़की हो तो उसका कोख में मार दिया जाता है। यह कानूनी अपराध है। नासिरा शर्मा की एक कहानी है 'अपनी कोख में।' लड़की होने के नाते जीने का अधिकार तक खो जाने का चित्र नासिरा जी ने सादगी एवं तल्खियत के साथ इनमें खींचा है। इस कहानी

की साधना जब गर्भवती हुई, तब सासु मां ने उस बच्ची को मारने का यह आदेश दिया था, पर साधना सोचती है—**''लड़के—लड़कियों में भेदभाव करने वाला यह समाज तब तक बलवान बना रहेगा, जब तक नारी उसके इशारे पर चलती है। कोख उसकी है, वह चाहे तो बच्चा पैदा करे और न चाहे तो न पैदा करे। चयनकर्त्ता वहीं है। अगर वह मर्दों को पैदा करना बंद कर दे तो इस समाज का क्या होगा।''**

यहां स्त्री के मां बनने अथवा लड़की पैदा करने के अधिकार को ही व्यक्त किया गया है।

समाज में स्त्री और पुरूष के अधिकार बराबर हैं। स्त्री को भी पुरूषों के समान मानवोचित जीवन जीने का अधिकार है। मानवाधिकार के मुद्दे को विभिन्न कोनों से देखने का प्रयास महिला कहानीकारों ने किया है। स्त्री मानवाधिकार के उल्लंघन की तस्वीर पेश करके उसकी रक्षा का जिक्र मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, चित्रा मुद्गल, नासिरा शर्मा, नमिता सिंह, मृदुला सिन्हा, वंदना शुक्ला, सुषामा मुनीन्द्र, मेहरूनिस्सा परवेज, निर्मला सिंह, जया जादवानी, उर्मिला शिरीष , ग्रेजकुजूर, सुशीला टाकभौरे, नासिरा शर्मा, उषा महाजन जैसी कई महिला कहानीकारों ने किया है। उन्होंने अपनी कहानियों में मानवाधिकार से वंचित तथा मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली नायिकाओं का चित्रण किया है। उनकी कहानियों में स्त्री के विविध रूप देख सकते है। भारतीय संविधान ने छोटी बच्ची का अधिकार, पत्नी का अधिकार, वृद्वावस्था में स्त्री का अधिकार, कामकाजी महिला का अधिकार, मां का अधिकार, दलित स्त्री का अधिकार, आदिवासी स्त्री का अधिकार और लघु संस्कृति से जुड़ी स्त्रियों के अधिकारों का प्रावधान किया है। महिला साहित्यकारों ने भी समाज को जागृत करने के उद्देश्य से अपनी रचनाओं में इन सबका उल्लेख किया है। स्त्री को समता, स्वतंत्रता और शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार पुरूषों के समान मिलते है। लेकिन इससे भी वह वंचित रहती है। महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों में कमी के बदले बढ़ोत्तरी हुई है।

स्त्री के मानवाधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार है हिंसा से स्वयं का बचाव। हिंसा के अन्तरगत बलात्कार भी है। 1983 में आपराधिक कानून में बलात्कार के सामान्य मामलों में सात साल तक की सजा है। चित्रा मुद्गल, नासिरा शर्मा जैसी कहानी लेखिकाओं ने अपनी कहानियों में स्त्री के साथ होने वाले शारीरिक उत्पीड़न का चित्रण किया है। चित्रा मुद्गल की

'प्रेतयोनी' शीर्षक कहानी की नायिका का नाम अनीता गुप्ता है। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। अनीता नारी के अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से सजग युवती है। वह पुलिस स्टेशन में जाकर एफ.आई.आर. दर्ज करवाती है। एक ऐसा सन्देश भी हमें मिलता है कि कानून भी स्त्री की सहायता के लिए मौजूद है। स्त्री के साथ होने वाले घरेलू अतिक्रमण के विरूद्ध भी 2005 में घरेलु हिंसा सरंक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उर्मिला शिरीष की कहानी **'चीख'** में लड़की बलात्कार की वजह से आत्महत्या करने का फैसला करती है, क्योंकि लड़की घरवालों की इज्जत का सवाल बन गयी थी। घरवालों की मानसिकता पहचान कर वह उनसे पूछती है – **''मेरी मौत से आप लोगों की इज्जत बच सकती है? मुझसे तो पूछो कि इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे अपने ही शरीर से कितनी घिन लगती है।''**

यहां लड़की अपने अधिकार का न्याय ही मांगती है।

स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार पुरूष के समान स्त्री को भी है। लेकिन पुरूष केन्द्रित समाज ने विवाहिता होने पर मां बन कर परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उसके ऊपर थोप दी है। नमिता सिंह की **'बन्दो'** कहानी में बंदों के शराबी पिता जुए के कर्ज़ चुकाने के लिए उसे शराबी गुंडे **'बलवीरा'** के साथ भेज देता है। वह बाप की आज्ञा का पालन करती है और बलवीरा के पत्नी के रूप में उसके साथ रहती है। कुछ समय के बाद बलवीरा की मृत्यु के अनंतर सास उसके भाई को बन्दों के पास भेज देती है। पति के जीवित रहने समय उससे उसे शारीरिक सुख नहीं मिला था। देवरानी के रहते देवर का सलूक बंदो बर्दाश्त नहीं कर पाती। पति के होते समय वह स्वतंत्र नहीं थी। पति की मृत्यु के बाद देवर से सम्बंध रखकर उस घर में जीना वह नहीं चाहती। एक स्त्री का अधिकार वह अच्छी तरह जानती है। दूसरी स्त्री का अधिकार भी छीनना वह नहीं चाहती। वह कहती है – **''जा सतवीरा, जा! तेरी लुगाई तेरा इंतजार कर रई ए ? मुंह के ताक रिया है मेरे भया। जा.....अपनी कुटिया में।''**

यहां व्यक्तित्व खोने के बाद फिर आत्मनिर्भर बनने और इज्जत के साथ जीने का अपना अधिकार जमाने वाली स्त्री के सामर्थ्य को दर्शाया गया है। घरेलू अधिकार का एक हिस्सा है

दहेज न देना और लेना। शादी के अवसर पर अपने आप को प्रगतिशील, आदर्शवादी, सुशिक्षित दिखाने के लिए दहेज कानूनन अपराध कह कर नहीं मांगते है। लेकिन विवाह के पश्चात् स्थिति बदल जाती है। भारत ही नहीं, केरल में भी यह हालत हम अक्सर देखते हैं। दहेज की वजह से नववधू की मृत्यु की खबर अखबारों और दृश्य–श्रव्य माध्यमों में हम देखते हैं। उषा महाजन की **'बेटी'** नामक कहानी की नायिका निक्की दहेज़ प्रथा की शिकार है। निक्की के ससुरवाले कहते हैं कि **"हमने सोचा कि आने वाली बहु खुद ही सजाएगी इसे अपनी पसन्द से. हमने तो बहु के लिए हीरे की अंगूठी बनवाई है सगाई के लिए, वैसे आप लोग सोना वगैरह किस ज्वेलर से खरीदते है?..... कार तो लड़के को लेनी ही लेनी है, लेकिन सोचा शादी पर दोनों अपनी पसन्द से.... देखिए जी हम और कुछ नहीं मांग रहे, पर शादी धूमधाम से होनी चाहिए, हमारा तो एक ही बेटा है।"**

लेकिन निक्की अपना अधिकार स्थापित करना चाहती थी। उसने इसका विरोध करना शुरू किया तो उसके शारीरिक और मानसिक शोषण का सिलसिला जारी होने लगा। वह बहुत बुरी हालत में अपने मायके लौट आई। उस समय वह गर्भवती थी। उस परिवार के वारिस को अपनी कोख में लादना भी वह नहीं चाहती। पर उसकी मां ने उसे समझाया कि "**मां बनना स्त्री– देह की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी शक्ति सबसे जुदा अनुभूति है।"**

मां के अनुसार बेटा है तो ससुराल वाले लेने के लिए आ जायेंगे। लेकिन लड़की होने के कारण निक्की भी आश्वस्त है। इस कहानी के जरिये उषा महाजन ने दहेज प्रथा, लिंगभेद, स्त्री भ्रूण–हत्या जैसे मानवाधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों को एक ही कहानी में दिखाने का प्रयास किया है।

हम लोग वेश्यावृत्ति को हमारे समाज की एक जटिल समस्या के रूप में मानते हैं। पर सरकार ने इसके लिए भी कानूनन अधिकार दिया है। एक स्त्री अपनी इच्छा से देह–व्यापार के लिए नहीं आती। उसकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था ही उसे यह काम करने के लिए विवश करा देती है। चित्रा मुद्गन की कहानी 'फातिमा बाई कोठी पर नहीं रहती' में बम्बई महानगर के रेड स्ट्रीट में वेश्यावृत्ति करने वाली लड़की की कहानी है। वह लाइसेंस के जरिये ही धंधा करती है। वह कहती है कि "यहां गैर कानूनी धंधा नहीं होता, हम लड़की बाद में लेते, लाइसेंस पहले बनवा लेते।"[6]

निष्कर्ष–

इस तरह महिला कहानीकारों ने अपनी कहानियों में स्त्री के अधिकार पर विशेषकर समानता, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, शिक्षा पाना, मानव होकर जीना आदि अनेक अधिकारों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। समाज में स्त्री आज भी स्वतंत्रता, अस्मिता, अस्मत, शखसियत आदि के लिए लड़ती रहती है। इस तरह स्त्रियों को अपने अधिकार को समझने के लिए हिंदी की महिला कहानीकारों का योगदान महत्वपूर्ण है। स्त्री अबला नहीं सबला है, खोये हुए अधिकार के लिए लड़ने वाली है। आगे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर स्त्री का कर्त्तव्य है। पुरूष वर्चस्ववादी समाज में जीने के लिए अपना अधिकार जानकर उसे प्राप्त करने के लिए नाखून और दांत के सहारे लड़ना है। यह सन्देश अपनी कहानियों द्वारा देने में वे सफल निकली हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. हरिश्चन्द्र व्यास, 'आख्यान महिला विवशता का', पृ0 5.
2. नासिरा शर्मा, 'अपनी कोख', पृ0 13,
3. ऊर्मिला शिरीष, 'चीख', पृ0 अनलिखित,
4. नमिता सिंह कर्फ़्यू तथा अन्य कहानियां (बन्दो), पृ0 118,
5. उषा महाजन, 'सच तो यह है', पृ0 44,
6. चित्रा मुद्गल, 'फातिमाबाई कोठी पर नहीं रहती', पृ0 अनलिखित।